राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्र.एफ.28( )पंरावि / प्रशा.2 / टंकण परीक्षा / शिथिलन अवसर / 2018 / 2728 जयपुर, दिनांकः 20.6.18

:: परिपत्र ::

विषय :– मृतक आश्रित पेटे अनुकम्पा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ सहायक (LDC) को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक (LDC) के पद पर मृतक आश्रित पेटे अनुकम्पा आधार पर नियुक्त को, नियुक्ति से 3 वर्ष के भीतर–भीतर जिला स्तर पर, जिला परीक्षा आयोजना समिति द्वारा आयोजित होने वाली कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा (अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी एक में) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके बिना कार्मिक को कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती।

उक्तानुसार 3 वर्ष तक कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.05.2018 द्वारा दो अवसर के शिथिलन दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किया गया है।

अतः ऐसे प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

I. संबंधित जिला परिषद के माध्यम से कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा के एक अवसर के प्राप्त शिथिलन प्रस्ताव चेक लिस्ट (प्रति संलग्न हैं) अनुरूप पूर्ण प्राप्त होने पर प्रार्थी को मॉक टेस्ट लेने हेतु 15 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस को बुलाया जावेगा।

II. प्रार्थी के मॉक टेस्ट के लिए उपस्थित होने पर विभाग के एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (A.C.P.) या उनके द्वारा नॉमित अधिकारी (जो प्रोग्रामर स्तर से कम नहीं हो) द्वारा वेवसाईट www.Indiatyping.com पर (हिन्दी / अंग्रेजी जिसमें अभ्यर्थी देना चाहे) मॉक टेस्ट लेगे और उनके द्वारा मॉक टेस्ट के परिणाम की प्रमाणित प्रति प्रशा.2 शाखा को भिजवाई जायेगी।

III. कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा में हिन्दी में 24 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 28 शब्द प्रति मिनट आने पर विभाग द्वारा प्रार्थी को आगामी जिला स्तर पर, जिला परीक्षा आयोजना समिति द्वारा आयोजित होने वाली टंकण गति परीक्षा में बैठने / सम्मिलित होने के लिए एक अवसर का शिथिलन दिया जावेगा।

IV. यदि मॉक टेस्ट में प्रार्थी की गति इससे कम रहती है उसे एक माह तैयारी कर पुनः मॉक टेस्ट देने हेतु बुलाया जायेगा।

V. यदि एक अवसर के शिथिलन के उपरान्त प्रार्थी जिला स्तर पर, जिला परीक्षा आयोजना समिति द्वारा आयोजित होने वाली टंकण गति परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है तो संबंधित जिला परिषद से अनुत्तीर्ण रहने के ठोस कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उपरान्त बिन्दू संख्या II से IV की पुनरावर्ती करते हुए दूसरे अवसर का शिथिलन प्रदान किया जावेगा।

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण विभाग मुख्यालय
7. निजी सचिव, जिला कलेक्टर–समस्त।
8. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।
10. ए.सी.पी. मुख्यालय को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं इस परिपत्र को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

1	कर्मचारी की नियुक्ति तिथि / कार्यग्रहण तिथि क्या हैं?
2	दिनांक 05.07.2010 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता (RSCIT) अर्जित करने के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करावें।
3	नियुक्ति के पश्चात् कर्मचारी द्वारा कब–कब टंकण गति परीक्षा हेतु आवेदन किया गया तथा कब–कब परीक्षा में सम्मिलित हुआ? उसके क्या परिणाम रहें? विवरण अंकित करें एवं प्रवेश पत्र एवं परिणाम की प्रतिया संलग्न करें।
4	कर्मचारी किन विशेष कारणों एवं विषम परिस्थितियों के कारण नियमानुसार निर्धारित अवधि में टंकण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ / उत्तीर्ण नहीं कर सका, जिससे इन्हे टंकण हेतु शिथिलन प्रदान कर अवसर दिया जावें, इस संबंध में कार्मिक द्वारा बताये गये कारणों का परीक्षण कर आधार सहित औचित्य स्पष्ट करें।
5	राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 में स्पष्ट प्रावधित है कि आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन है। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नही कर लेता तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं की जायेगी। इस प्रावधान के दृष्टिगत आप द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।